पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 99/2022

अनवान :

1. कृष्णकुमार पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
2. जशवन्त पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
3. घनश्याम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. हरलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
2. रेशमी पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
3. केशरदेवी पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
4. सिलोचना पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
5. शारदा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
6. पंजाब नेशनल बैंक (ओवीसी) शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विरेन्द्र जाखड एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 74/71 के खसरा संख्या 138, 75, 99 की कुल 10.0410 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के हरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरलाल अकेले की बजाय वादी सं01 कृष्णकुमार, वादी सं0 2 जशवन्त, वादी सं0 3 घनश्याम व प्रतिवादी सं0 1 हरलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.05.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक) भादरा।
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 99/2022

अनवान :

1. कृष्णकुमार पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
2. जशवन्त पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
3. घनश्याम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।

:— वादी

व ना ग

1. हरलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
2. रेशमी पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
3. केशरदेवी पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
4. सिलोचना पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
5. शारदा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
6. पंजाब नेशनल बैंक (ओबीसी) शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ : **वादी**

वकील श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 24.05.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 74/71 के खसरा संख्या 138, 75, 99 की कुल 10.041 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के हरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता हनुमान की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हरलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 व 7 के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है इसलिये वकील वादी ने तर्क करने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 6 व 7 को तर्क किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा

Scanned with CamScanner

राजीनामा पेश किये जाने पर तसदी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में जशवन्त पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी घोटडाखालसा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही घोटडाखालसा संवत 2074–77 खाता सं0 74/71 प्रदर्श 1, पैतृक जमाबंदी घोटडाखालसा संवत 2029–38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र बावत शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने घोटडाखालसा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण पत्र मे तीन पुत्र कृष्ण कुमार, जशवन्त, घनश्याम तथा तीन पुत्रिया केसर देवी, सिलोचना व शारदा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 74/71 के खसरा संख्या 138, 75, 99 की कुल 10.041 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के हरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हरलाल अकेले की बजाए वादीगण एवं प्रतिवादी सं01 हरलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटडा खालसा के खाता सं0 74/71 के खसरा संख्या 138, 75, 99 की कुल 10.041 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरलाल अकेले की बजाय वादी सं01 कृष्णकुमार, वादी स0 2 जशवन्त, वादी सं0 3 घनश्याम व प्रतिवादी सं0 1 हरलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner